उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन (जलागम) अनुभाग
संख्या : /2018–5–3(4)/2018
देहरादून : दिनांक 07 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 25168/2017 में दिनांक 16.03.2018 को पारित आदेश द्वारा प्रमुख सचिव, जलागम से लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की अपेक्षा की गई। तत्क्रम में जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्रसंख्या 3093/35–1 दिनांक 26.04.2018 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 646/XIII-II/2005 दिनांक 25.08.2005 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये विभागान्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना–जलागम विकास घटक (समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम) के परिपेक्ष्य में भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

क्र0 सं0	लोक प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र
1	ग्राम पंचायत कार्यालय, जलागम प्रबन्ध परियोजना	ग्राम प्रधान	ग्राम पंचायत सचिव	सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष	ग्राम स्तर

2. कार्यालय ज्ञाप संख्या 646/XIII-II/2005 दिनांक 25.08.2005 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या 377/2018–5–3(4)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त कार्यदायी विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना–जलागम विकास घटक।
7. सम्बन्धित, द्वारा मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव